राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2125/2025

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांवा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जैमसी खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव, अलवर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार, चित्तौड़गढ़ में किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के 05 पद स्वीकृत है, जिसमें से एक पद पर अपीलार्थी पदस्थापित था एवं 04 पद रिक्त है। माननीय विधायक, रामगढ़ अलवर द्वारा दिनांक 17.01.2025 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अपीलार्थी का यथावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांवा में रखे जाने का अनुरोध किया। लोकल समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न कर बाइकों की भिड़ंत में दो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांवा में चिकित्सक नहीं होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चिकित्सा अधिकारी के 29 पद

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ मुबारिकपुर, अलवाड़ा में रिक्त है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण ही किया जाना था तो उक्त रिक्त स्थान पर किया जा सकता था। परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 कि.मी. दूर बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं के किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव, अलवर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार, चित्तौड़गढ़ प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)